by Adv. Mukesh. & Tanwar

न्यायक कलक्टर मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी महोदयजी,

10/1/22

गज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 06/2022 प्रार्थनापत्र

1. अम्बा लाल पुत्र श्री रूपा कुमावत आयु वयस्क निवासी— धनकपुर ग्राम लादुवारा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
2. छीतर लाल पुत्र श्री रूपा कुमावत आयु वयस्क निवासी— धनकपुर ग्राम लादुवारा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

—प्रार्थीगण

बनाम

01. गंगा पत्नी श्री नानू कुमावत आयु वयस्क निवासी— धनकपुर ग्राम लादुवारा तहसील जिला भीलवाडा (राज0)
02. भंवरी पत्नी सुवा लाल कुमावत आयु वयस्क निवासी— धनकपुर ग्राम लादुवारा तहसील करेडा करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
03. सुवा लाल पुत्र श्री नानू कुमावत आयु वयस्क निवासी— धनकपुर ग्राम लादुवारा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
04. धापू देवी पत्नी घीसा कुमावत आयु वयस्क निवासी— धनकपुर ग्राम लादुवारा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
05. भागचन्द पुत्र श्री घीसा कुमावत आयु वयस्क निवासी— धनकपुर ग्राम लादुवारा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
06. मथुरा लाल पुत्र श्री घीसा कुमावत आयु वयस्क निवासी— धनकपुर ग्राम लादुवारा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
07. लक्ष्मी देवी पुत्री घीसा कुमावत आयु वयस्क निवासी— धनकपुर ग्राम लादुवारा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
08. लादी देवी पुत्री घीसा कुमावत आयु वयस्क निवासी— धनकपुर ग्राम लादुवारा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
09. गणपतदास पुत्र श्री आसूदास बैरागी आयु वयस्क निवासी— धनकपुर ग्राम लादुवारा तहसील जिला भीलवाडा (राज0)
10. प्रेमदास पुत्र श्री आसूदास बैरागी आयु वयस्क निवासी— लादुवारा तहसील करेडा भीलवाडा (राज0)
11. रतनदास पुत्र श्री आसूदास बैरागी आयु वयस्क निवासी— लादुवारा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
12. रामसुखी पत्नी श्री आसूदास बैरागी आयु वयस्क निवासी— लादुवारा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
13. शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा करेडा जिला भीलवाडा
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश सिंह तंवर —–अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. एकपक्षीय —– विपक्षी संख्या 01 से 13
3. पेरोकार सरकार —–विपक्षी संख्या 14

:: निर्णय ::

दिनांक– 09.09.2025

प्रार्थीगण के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 98 रकवा 1.0370 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 99 रकवा 1. 6693 हेक्टयर स्थित है। जो कि प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थीगण का ही कब्जा एवं उपयोग उपभोग चली आ रही है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि विपक्षीगण की आराजी नम्बर 33 , 32, 100 से होकर आते जाते है, उक्त रास्ता 18 फीट चौडाई के रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थीगण का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीवद्ध किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षीगण की ओर उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थीगण की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की वहस सुनी गयी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्पित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण को आराजियात पर आने जाने , संज वैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के नाम पर सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0) मे आराजी नम्बर 98,99 प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे विपक्षीगण की आरजी नम्बर 33, 32,100 जो कि विपक्षीगण के दर्ज रेकार्ड, मौके पर वर्तमान मे उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी नम्बर 98,99 मे आने जाने हेतु आराजी नम्बर 27, 30 मे वने रास्ते से होकर आराजी नम्बर 33 मे से 0.0168 हेक्टयर ,आराजी नम्बर 32 मे से 0.0148 हेक्टयर एवं आराजी नम्बर 100 मे से 0.0182 हैक्टयर पश्चिमी मेड पर 4 मीटर चौडाई मे रास्ते के रूप मे कुल 0.0498 हैक्टयर भूमि आती है, जो निकटतम रास्ता है, जो रास्ते मे ली जाने वाली भूमि का वाजार मूल्य डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षी को देय है, प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

मैने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 98, 99 मे आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 33,32,100 की पश्चिमी मेड मे से 4 मीटर चौडाई मे रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थीगण की सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) मे आराजी नम्बर 98, 99मे आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर आराजी संख्या 32, रकबा 1.3405 है0 मे से रकबा 0.0148 है0 आराजी नम्बर 33 रकबा 1.5176 है0 मे से रकबा 0.0168 है आराजी नम्बर ,100 रकबा 1.3658 है0 मे से रकबा 0.0182 है0 किता 03 कुल रकबा 4.2239 हैक्टयर मे से रकबा 0.0498 हैक्टयर की पश्चिमी मेड मे से चौडाई यानि 4 मीटर चौडाई मे रास्ते के रूप (मौका पर्चा रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रस्तावित भू नक्शे मे दर्शितानुसार) मे कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेडा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 0.0498 हैक्टयर रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी संख्या 01 लगायत 12 को क्षतिपूर्ति हेतु अदा की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 09.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)